

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 2015

विषय: फरवरी/मार्च, 2014 में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति हेतु कृषि निवेश अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1138/1-10-2014-33(61)/13टी0सी0-4, दिनांक 01.01.2015 द्वारा फरवरी/मार्च, 2014 में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कृषि निवेश अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 9 जनपदों को कुल धनराशि ₹0 1,71,67,67,576/- (रूपये एक सौ इकहत्तर करोड़ सरसठ लाख सरसठ हजार पाँच सौ छिहत्तर मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	मांगी जा रही/दी जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	इलाहाबाद	संख्या-889, दिनांक 19.09.2014	23,11,168
2	बांदा	संख्या-445, दिनांक 19.12.2014	4,92,84,275
3	हमीरपुर	संख्या-967, दिनांक 22.12.2014	30,52,43,890
4.	झांसी	संख्या-1465, दिनांक 19.12.2014	1,04,13,61,551
5.	ललितपुर	संख्या-733, दिनांक 22.12.2014	6,12,94,107
6.	महोबा	संख्या-403, दिनांक 19.12.2014	21,05,85,000
7.	कानपुर देहात	संख्या-389, दिनांक 22.12.2014	86,76,000
8.	प्रतापगढ़	संख्या-278, दिनांक 22.12.2014	2,51,53,735
9.	कौशाम्बी	संख्या-415, दिनांक 01.10.2014	1,28,57,850
		योग	1,71,67,67,576

2- यह उल्लेख करना है कि जनपद बांदा में लघु एवं सीमान्त कृषकों की कोई अवशेष देयता नहीं है। अतः पूर्व निर्गत शासनादेश को यथा संशोधित करते हुए ₹0 1,66,74,83,301/- (रूपये एक सौ छ्ठाठ करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार तीन सौ एक मात्र) की धनराशि निम्नानुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	मांगी जा रही/दी जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	इलाहाबाद	संख्या-889, दिनांक 19.09.2014	23,11,168
2	हमीरपुर	संख्या-967, दिनांक 22.12.2014	30,52,43,890

3	झांसी	संख्या-1465, दिनांक 19.12.2014	1,04,13,61,551
4.	ललितपुर	संख्या-733, दिनांक 22.12.2014	6,12,94,107
5.	महोबा	संख्या-403, दिनांक 19.12.2014	21,05,85,000
6.	कानपुर देहात	संख्या-389, दिनांक 22.12.2014	86,76,000
7.	प्रतापगढ़	संख्या-278, दिनांक 22.12.2014	2,51,53,735
8.	कौशाम्बी	संख्या-415, दिनांक 01.10.2014	1,28,57,850
		योग	1,66,74,83,301

3- पूर्व निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :1138(2) / 1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।